RAJYA SABHA

Thursday, the 5th December, 1974/the 14th Agrahayana, 1896 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

समाचार पत्रों को विज्ञापनों का देना बन्द किया जाना और उनके बिजली के कनक्शनों का काटा जाना

*469. **डा. रामकृपाल सिंह†:**

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा :

श्री डी. के. पटेल :

श्री भैरों सिंह शेखावत :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन मामलों की ओर दिलाया गया है जिन में बिहार सरकार ने 'सर्चलाइट' तथा 'प्रदीप' में दिये गये विज्ञापनों के लिये भुगतान नहीं किया था, पंजाब सरकार ने 'हिन्द समाचार' की बिजली काट दी थी तथा हरियाणा सरकार ने 'ट्रिब्यून' को और केन्द्रीय सरकार ने 'मदरलैंड' को विज्ञापन बन्द कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?]

‡[**Stoppage of advertisements and disconnection of power supply to newspapers**

*469. DR. RAMKRIPAL SINHA :

SHRI V. K. SAKHLECHA :

SHRI D. K. PATEL:

SHRI B. S. SHEKHAWAT :

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to cases of withholding of payments by Bihar Government for the advertisements published in 'Searchlight' and 'Pradeep'; disconnection of power supply by the Punjab Government to 'Hind Samachar' and stoppage of advertisements to the Tribune by the Haryana Government and to the Motherland, by the Central Government; and

(b) if so, what action Central Government have taken in the matter ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) Government's attention was drawn to issues mentioned regarding 'Seacrhlinght', 'Pradeep', 'Hind Samachar' and Tribune.

In regard to the 'Motherland', the Central Government's advertisements are being released by the Directorate of Advertising & Visual Publicity since February, 1972 when it was approved for use of Central Government's advertisements.

(b) This is a matter which is strictly within the purview of State Governments.

†[**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल)**: (क) सरकार का ध्यान 'सर्चलाइट', 'प्रदीप', 'हिन्द समाचार' और 'ट्रिब्यून' के बारे में उल्लिखित मामलों की ओर आकर्षित किया गया था ।

'मदरलैंड' के बारे में केन्द्रीय सरकार के विज्ञापन फरवरी, 1972 से जब इसको केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु स्वीकृत किया गया था, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी किये जा रहे हैं ।

(ख) यह मामला पूर्णतया राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में है ।]

डा. राम कृपाल सिंह : मैं यह जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कि जैसे सर्चलाइट, प्रदीप, हिन्द समाचार आदि जो प्रदेशों के

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Ramkripal Singh.

‡[ ] English translation.

अखबार हैं उन में केन्द्र के मंत्रियों ने जाकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे पटना में जाकर 'सर्चलाइट' और 'प्रदीप' अखबार के लिए माननीय धर्मवीर सिंह ने और इसी प्रकार बिहार के और कई मंत्रियों ने अपने मन्तव्य व्यक्त किए हैं तो क्या इनसे केन्द्रीय सरकार अवगत है या नहीं ? कोई प्रदेश का खास अखबार जो किसी प्रदेश के मुख्य मंत्री के खिलाफ यदि कोई बात कहता है जैसा ज्ञानी जैल सिंह अखबारों के बड़े दुश्मन माने जाते हैं और उनको लगता है कि पत्रकार को कोई स्वतंत्रता नहीं है। बातें छापने की तो इस तरह की प्रवृत्ति जो देश में बढ़ रही है बिहार और पंजाब में तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि विक्टीमाइजेशन करके यदि सरकार द्वारा दिए गए एडवरटीजमैंट के पैसे वे नहीं देते हैं, उसकी बिजली काट दी है जैसा कि 'हिन्द समाचार' के संबंध में किया गया है और उसको ट्रैक्टर से अपनी प्रैस चलानी पड़ी तो इसकी रोकथाम के लिए केन्द्रीय सरकार कौन से स्टैप उठाने जा रही है क्योंकि इसमें फंडामैन्टल राइट्स और प्रैस की स्वतंत्रता की बात आती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने कौन से तरीके अपनाए इन मामलों को निपटाने के लिए ?

SHRI I. K. GUJRAL : Sir, my hon. friend has delivered a long speech. I do not know what I can reply. The only thing that I can say is that whenever there has been a difference of opinion between the State Governments and a particular paper, by and large, I have noticed, the cases have been referred to the Press Council; the Press Council have come to certain conclusions and those conclusions have, by and large, been implemented by the State Governments. My hon. friend might keep in mind all the time that the State legislatures have as much sovereignity in the Constitution as the Parliament has. So, naturally the State legislature is the right forum to discuss the issue whenever an issue of this type arises.

DR. RAMKRIPAL SINHA :Sir, ...

MR. CHAIRMAN : Please put specific questions instead of arguing because you will take time.

DR. RAMKRIPAL SINHA : My point was whether the Central Ministers have made press statements and on what grounds they make press statements.

MR. CHAIRMAN : That will not arise out of this question at all.

DR. RAMKRIPAL SINHA : In this connection, money for advertisements was due to "Searchlight" and "Pardeep' from the Bihar Government. एडवरटाइजमैंट के बारे में जो सर्चलाइट और प्रदीप डी-लिस्ट कर दिये थे इनके बारे में मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था तो मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर यह वक्तव्य दिया गया है ?

श्री धर्मवीर सिंह : माननीय सदस्य को मालूम होगा कि मैंने बिहार में जो वक्तव्य दिया था उसमें स्वागत किया था। बिहार की सरकार के निर्णय का जो 'सर्चलाइट' और 'प्रदीप' को डी-लिस्ट करने के आर्डर को विड्ड्रा करने से सम्बन्धित था।

MR. CHAIRMAN : Would you like to ask another supplementary ?

डा. रामकृपाल सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो हिन्द समाचार और पंजाब केसरी समाचार-पत्र हैं, क्या यह सत्य नहीं है कि इन अखबारों का जान-बूझ कर विक्टमाइजेशन किया जा रहा है? क्या यह भी सत्य नहीं है कि इन समाचार-पत्रों की मशीनरी विद दी एप्रूवल आफ दी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से चलती थी और चूंकि इन्होंने पंजाब सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफास किया और वहां पर जो शराब की ब्रेवरिज हैं वे अपनी एड्वरटाइजमेन्ट्स में जिस प्रकार से भद्दे चित्र निकालते थे उनके बारे में आलोचना की और पंजाब सरकार के जो दूसरे कारनामे हैं उनके बारे में आलोचना की तो इन सब चीजों को देखते हुए इन अखबारों का विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है ? ऐसी स्थिति में मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए और उसकी रक्षा के लिए भारत सरकार किन उपायों के बारे में सोच रही है ?

MR. CHAIRMAN : The question is whether there is victimisation or not.

SHRI I. K. GUJRAL : This particular case is, of course, within the purview of the State Government. All the same, since my friend has made a long statement, I would like to say something on this. I think the hon. Member is also aware that this matter is now within the jurisdiction of the Punjab and Haryana High Court. A case has been filed and the final judgment has not been given and therefore it will be unfair both for him and for me to make any comment on that now. He has also, in passing, mentioned about certain photographs in the advertisements which he thinks are vulgar. I hope my friend will not only advise that the Government should not advertise such things, but I hope he will also advise newspapers to see that they do not do it because by and large many of the photographs which are exhibited in the newspapers are also debased and not in public taste.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इन्होंने मंत्री महोदय से यह पूछा था कि अगर कोई समाचार-पत्र निश्पक्षता से समाचार दे, सरकारी गलत नीतियों का विरोध करे और उसके ऐसा करने पर राज्य सरकारें उसका विक्टिमाइजेशन करें, उसको बिजली देना बन्द कर दें तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है? दूसरा प्रश्न इनका इस संबंध में अपनाये गये तरीके से संबंधित था और इन्होंने यह पूछा था कि इस बारे में केन्द्रीय सरकार की है? लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आया है ।

SHRI I. K. GUJRAL : The policy of the Government of India has been enunciated not once, but many times both in this House and in the other House. Our Commitment to freedom of the press is absolute and we stand by it. The methods for getting remedy for some complaints which may be justified or may not be justified have already been defined by laws.

श्री भैरों सिंह शेखावत : सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि विधान सभाओं के अधिकारों में यह प्रश्न आता है कि किसी समाचार-पत्र को कितने विज्ञापन दिये जायें । आप जानते हैं कि प्रेस कौंसिल ने इस बारे में जजमेन्ट दिया है कि उनके जजमेंन्ट को इम्प्लीमेंन्ट कराने की कोई मशीनरी नहीं है और प्रेस कौंसिल के जजमेन्ट्स का स्टेट गवर्नमेन्ट्स किसी प्रकार से भी ऑनर नहीं करती है । क्या इसका अर्थ यह है कि प्रेस कौंसिल के जजमेन्ट्स का अगर स्टेट गवर्नमेन्ट्स ऑनर नहीं करती हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं है ? इसलिए मैं यह भी जानना चाहता हूं कि विज्ञापन देने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ? क्या विज्ञापन देना इस बात पर अवलम्बित करता है कि किसी समाचार-पत्र का सरकूलेशन कितना है, समाचार-पत्र कितने वर्षों से चल रहा है और इस संबंध में कोई इस प्रकार की बात नहीं आती है कि कोई समाचार-पत्र सरकार के विरुद्ध है या समाचार-पत्र सरकार के पक्ष में प्रचार करता है ? क्या यह भी सत्य है कि इसी नीति को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने से इंकार करना एक प्रकार से समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता पर लांछन लगाने के अन्तर्गत आता है ? ऐसी स्थिति में विज्ञापनों के संबंध में जब इस प्रकार की नीति है तो जो राज्य सरकारें इस नीति के विरुद्ध समाचार-पत्रों को विज्ञापन देना बन्द कर देते हैं उन सरकारों के विरुद्ध आपने कहा कि हम किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, इसलिए क्या इसका अर्थ यह होगा कि प्रेस कौंसिल के जजमेन्ट्स को इम्प्लीमेन्ट्स करने की क्षमता न तो इस सरकार में है और न ही राज्य सरकारों में है और प्रेस कौंसिल अपने आप में एक अंग है ? मैं ट्रिब्यून के मामले का अर्ज करना चाहूंगा. प्रेस कौंसिल का जजमेंट हुआ, हरियाणा की सरकार को उन्होंने साफ लिखा कि आपने इसको विज्ञापन न देने के लिए जो किया है बिलकुल गलत है । वहां के मुख्य मंत्री यह कहते हैं प्रेस कौंसिल का जजमेंट जिस कागज पर लिखा है उस कागज की कीमत उस जजमेंट से ज्यादा है, मैं किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं दूंगा । ट्रिब्यून को बिलकुल बंद कर दिया और नेशनल हैरल्ड पत्र जिसका

हरियाणा में कोई सर्कुलेशन नहीं है इन दोनों समाचार-पत्रों में दुनियां भर के - - -

MR. CHAIRMAN : Are you discussing the whole issue?

श्री भैरों सिंह शेखावत : यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, मैं स्पीच नहीं दे रहा। इसी बारे में जो दूसरा पत्र है हिन्दी समाचार, आज आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि सबसे ज्यादा सर्कुलेशन होने के बावजूद भी यह समाचार-पत्र ट्रैक्टर से अपनी मशीन बिजली लेकर चला रहा है। दूसरे प्रेस में यदि छपवाता है तो उसकी बिजली डिसकनैक्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से जानना चाहूंगा यदि किसी मुख्य मंत्री के खिलाफ या रूलिंग पार्टी के खिलाफ कोई समाचार छापना अपराध है, उन अपराधों के आधार पर उन को बिजली किस तरह से दी गई।

एक माननीय सदस्य : बड़ा लम्बा भाषण दे दिया।

श्री भैरों सिंह शेखावत : यह भाषण का सवाल नहीं है प्रेस की स्वाधीनता का सवाल है।

श्री आई. के. गुजराल : अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादती जो आपने की है—मेरी मुराद आपसे नहीं माननीय सदस्य से है—जो शेखावत जी ने कहा है वह यह है कि सवाल नहीं पूछा, इतना लम्बा भाषण दे दिया। अब फेयरनेस तो यही है कि मैं उतना ही लम्बा जवाब दूं क्योंकि उन्होंने इस किस्म के इल्जाम लगाए हैं जिनका जवाब दिए बिना नहीं रहा जा सकता है।

शेखावत जी खुद एम. एल. ए. रह चुके हैं वे अपने यहां के लेजिस्लेचर के भी मेम्बर रह चुके हैं, वे जानते हैं स्टेट का लेजिस्लेचर और सेन्टर का लेजिस्लेचर अपने अपने राइट्स के लिए कितना जेलस होता है। जितने अखबारों के मामले स्टेट के हैं वे स्टेट में ही रहने चाहियें। यह अच्छी परम्परा नहीं होगी अगर हम सेन्टर वाले स्टेट के मामले में दखल देना शुरू करें। शायद शेखावत जी खुद पसंद नहीं करेंगे।

श्री राजनारायण : रूसी टेलीविजन विहार विधान सभा में।

श्री आई. के. गुजराल : इसकी बात नहीं है।

श्री राजनारायण : तो किसे कहते हो ?

श्री आई. के. गुजराल : उस का सवाल आएगा तब जवाब दूंगा। दूसरी बात अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने उठाई है वह यह है प्रेस कौंसिल का क्या हक है, प्रेस कौंसिल की कितनी ताकत है। प्रेस कौंसिल के बारे में कई दफा यहां बहस हो चुकी है, इस सेशन में भी गालिबन एक दफा फिर बहस होगी क्योंकि उसका बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस कौंसिल कोई कोर्ट नहीं है, प्रेस कौंसिल को कोर्ट की ताकतें नहीं दी गई, जान कर नहीं दी गई। मेरे देने या न देने का सवाल नहीं है; पार्लियामेंट ने खुद नहीं दिया है। अगर पार्लियामेंट ताकत देने के मुताल्लिक गौर करना चाहे तो गौर कर सकती है, मुझे ऐतराज नहीं। अब सवाल आता है कि प्रेस कौंसिल कुछ फैसला करता है जिसके मुताल्लिक स्टेट गवर्मेन्ट अपना एक एटीट्यूड लेती है। एक बहुत अच्छी बात यह है हमारे मुल्क में सर्चलाइट का मामला उठाया था। वह जहां तक मुझे इल्म है, बिहार गवर्मेन्ट ने मानी है प्रेस कौंसिल की राय। कई चीजों के बारे में इख्तलाफे राय हो सकती है। इख्तलाफे राय लेकर आप इतनी दूर ले जाएं, प्रेस कौंसिल को इतनी ताकत दे सकें, शायद वह परंपरा अच्छी नहीं होगी क्यों कि प्रेस कौंसिल तो प्रेस वालों की अपनी ताकत है, यह कौंसिल न अदालत है, न जुडिशरी है, न इसमें सरकार की नुमायंदगी है। इसलिए अगर कुछ सरकारें यह सोचती हैं कि उनकी बात ठीक तरह से नहीं मानी गई या सोची गई तो उनको सोचने का हक हासिल है...

श्री भैरों सिंह शेखावत : आपने क्या परसूएड किया स्टेट गवर्मेन्ट को कि प्रेस कौंसिल के जजमेंट पर अमल किया जाए ? इस संबंध में भारत सरकार ने कितने एफर्ट्स किए होंगे ?

श्री आई. के. गुजराल : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की जो पालिसी प्रेस कौंसिल के मुताल्लिक है, अभी थोड़े से में समझा दी गई। जब बिल आएगा तो और समझा दूंगा। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं। कई चीजों में स्टेट गवर्मेन्ट के अपने हक हैं और कोई स्टेट गवर्मेन्ट यह पसंद नहीं करता कि उन हकूक में सरकारे हिन्द दखल दे लेकिन इस वक्त जितनी भी सरकारें हैं, वाई एण्ड लार्ज, हमारा तजुर्बा है—दो-तीन इंसिडेंट्स कहीं ऐसे हो सकते हैं, वे जाती हो सकते हैं—कई दफा इख्तलाफे-राय हो सकता है, मसलन एक मामला जिसकी तरफ तवज्जह दिलाई, जिसके मुताल्लिक हरियाणा गवर्मेन्ट गौर कर रही है—हिंद समाचार के मामले में—उस पर दो राय हो सकती हैं कि लोड कितना सैंक्शन हुआ, लोड कितना इस्तेमाल किया, उसको खींचं कर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। गालिबन मैनेजमेंट के मामले को आपको फ्रीडम आफ प्रेस में नहीं लाना चाहिए। यह गलत बात होगी। इन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई मामले ऐसे हैं जो मैनेजमेंट से ताल्लुक रखते हैं, कुछ एडीटोरियल के मामले हैं।

(Interruptions)

श्री गुणानन्द ठाकुर : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बहुत से अखबार ऐसे हैं जिनको अखबारी कोटा वाजिब हैसियत से या समाचार और विज्ञापन की दृष्टि से, जितना मिलना चाहिये उससे ज्यादा मिलता है और दूसरी तरफ ऐसे भी अखबार हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के अखबार हैं, जो अखबार छोटे स्तर पर गांव में आये हैं, साधारण लोगों और मध्यम लोगों के लिए हैं उन अखबारों को विज्ञापन नहीं मिलता है। इसलिए मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर जो बैलेंस्ड समाचार दिये जाने चाहियें, जो बैलेंस्ड व्यूह ली जानी चाहियें, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने नेशनल हरेल्ड की चर्चा की, तो मैं कहूंगा कि नेशनल हरेल्ड और नव जीवन, जिस ढंग से बैलेंस्ड व्यूह लेते हैं, यहां तक कि हमारी पार्टी तक की आलोचना करते हैं समाचारों में और सम्पादकीय में भी और दूसरी तरह से, तो इस तरह के अखबार राष्ट्रीय स्तर पर होने चाहियें। तो क्या सरकार इस तरह के अखबारों को प्रतिष्ठित करने के लिए तैयार है जो अखबार राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का व्यूह ले सकें और इस तरह का शेष अख्तियार कर सकें ? क्या सरकार के पास इस तरह की कोई योजना है ?

SHRI I. K. GUJRAL : It is a very hypothetical question. My hon. friend asked, 'If there is a good paper, if there is a Hindi paper, if there is an all-India paper, will I help it ? I can only say that such a paper will have all my sympathy...

(Interruptions)

SHRI NIREN GHOSH : Sir, this question is about sabotage of advertisements. Is it a fact that because the 'Hindustan Times' brought out all the relevant facts about import licences scandal and smugglers' political links and all that, the Prime Minister threatened K. K. Birla and said that advertisements should be stopped ? Mr. Verghese was sacked. Is it also a fact that the same thing happened to 'Searchlight', Samachar' and 'Motherland', etc ? There was a conference, an international conference, in which it was said that the freedom of Press in India is a casualty, is in danger ? Has the Government taken note of that caustic remark, and what remedial measures they propose to take ?

AN HON. MEMBER : It has been contradicted.

SHRI I. K. GUJRAL : I am glad, I am thankful to the hon. Member for giving me this opportunity, to categorically, and with all the emphasis, deny that the Government, any member of the Government or the Prime Minister, has intervened in the matter of 'Hindustan Times'. The Prime Minister is also on record having contradicted it. But in spite of contradic-

ion, it is unfortunate that some papers persist in making this allegation. And when they persist in it, I attribute it to malice, I attribute it to intrigue. . . (*Interruptions*), I attribute it to intrigue, I attribute it to motives which are not above board. And, therefore, I say with a great deal of emphasis that all those who are trying to say that the Government is intervening in the matter of George Verghese, are malicious and politically motivated. .

(*Interruptions*)

श्री राजनारायण : श्री गुजराल ने जो उत्तर दिया वह नकारात्मक उत्तर है क्योंकि यह बात सत्य है कि श्री वर्गीज को प्रधान मंत्री की सरकार की इच्छा पर हटाया गया है और यह बात दुनिया मान रही है ।

श्री गणानन्द ठाकुर : प्रधान मंत्री का नाम बीच में क्यों लेते हो ?

श्री राजनारायण : बिड़ला सेठ और इन्दिरा सेठ, दोनों को हटाना है ।

SHRI I. K. GUJRAL : One thing I would like to clarify. At least I have not come across any statement by Mr. Birla saying that anybody in the Government has said it. But even then I am glad and I must congratulate, particularly my friend Mr. Niren Ghosh that today he places more reliance on what is being attributed to Birla. The third thing. . .

SHRI NIREN GHOSH : Employees have told us; you ought to know that *Hindustan Times* employees have told us. I do not speak in the air.

SHRI I. K. GUJRAL : The third thing I would like to say is—and I have said it not here but everywhere—that I am absolutely for the freedom of editors and I feel that measures must be taken where proprietorial interference in the matter of editors is eliminated and I have said it time and again that I feel that freedom of the press will be complete only if the proprietors' interference is eliminated. Also in this case, Rajnarainji has mentioned about the removal of George Verghese. I can say that George Verghese is a respectable and respected editor and we have all respect for him. But let him not forget that in the course of the last 8 or 9 years, Mr. Birla has removed 5 editors. Next to him Mr. T. N. Singh is also sitting. He was also removed by Mr. Birla from the Hindustan Times.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आप को मालूम है कि इस देश में बिरला और नेहरू यह दोनों ही सेठ हैं और इन दोनों का जाल काटे बिना देश चल नहीं सकता, यह देश टूट रहा है ।

श्री जगदीश जोशी : क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो अखबार अपना गलत सर्कुलेशन दे कर अतिरिक्त कागज चाहते हैं या झूठा सर्कुलेशन दे कर अतिरिक्त विज्ञापन चाहते हैं और ऐसे अखबार जो सरकार या अन्य लोगों को ब्लैक मेल करने का पेशा अख्तियार किये हुए हैं विभिन्न तरह के माध्यमों से, उन को भी क्या सरकार आजादी के साथ विज्ञापनों में स्वतंत्रता देगी ?

श्री राजनारायण : क्यों नहीं, पैट्रियाट है, जनयुग है ।

SHRI I. K. GUJRAL : Sometime ago, I had read in this House the criteria on the basis of which advertisements are released. The papers which indulge in black marketing and in communal practices. . .

श्री राजनारायण : मिनिस्टर को श्रीमन्, आप की ओर देखना चाहिए न कि किसी दूसरे की ओर । मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister may not try to reply to the members but to the House.

श्री जगदीश जोशी : इधर भी मेम्बर बैठे हुए हैं ।

MR. CHAIRMAN : So I said all the members; I said 'the House'.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सूचना मंत्री जी के इस सुझाव से सहमति व्यक्त करते हुए कि समाचार पत्रों में बिकरी बढ़ने हेतु कामोत्तेजक चित्र फिल्मों के न छापे जायें उन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि उन को जानकारी कुछ गलत ढंग से मिल रही है । जैसा कि उन्होंने एक संकेत अपने उत्तर में किया कि कुछ समाचार पत्रों को बिजली का लोड थोड़ा सेंक्शन था और बिजली का प्रयोग उन्होंने अधिक किया । संभव है उन्होंने अपने स्तर पर जानकारी न ली हो । वास्तविकता यह है कि जितना प्रयोग बिजली का उन्होंने किया, उस के लिए उतना सरकार उन से किराया लेती रही । सौ किलोवाट का मीटर उन के यहां लगा रहा । जब उन को कहा गया कि अधिक बिजली लेने के लिए इस को आप रेगुलराइज कराइये तो उस के लिए उन्होंने अप्लीकेशन दी । लेकिन जब अप्लीकेशन दी तो उस को यह कह कर रद्द कर दिया गया कि क्योंकि बिजली की कमी है इसलिए इसे मंजूर नहीं किया जायेगा । सरकार क्योंकि बिजली नहीं देना चाहती थी इसलिए वह तरह तरह के बहाने निकाल रही थी । मेरा पहला प्रश्न यह है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सूचना मंत्री का दायित्व है । प्रदेशीय सरकारें तो अपने स्वार्थ के हित में आ कर या मुख्य मंत्री का, अगर कोई समाचार पत्र विरोध करता है या उसकी नीतियों का विरोध करता है तो उन को वे इस तरह से सजा देती हैं । इस के लिए केन्द्र सरकार स्वयं दायित्व ले । दूसरा प्रश्न मैं यह करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान टाइम्स के संबंध में प्रधान मंत्री जी ने इतना तो कहा कि मैं ने उन के मालिकों को यह नहीं कहा है कि वह वर्गीज को इस प्रकार का नोटिस दें । लेकिन मालिकों ने इस प्रकार का नोटिस दिया, इस की क्या प्रधान मंत्री जी ने निन्दा की, या इस को बुरा कहा कि उन को इस तरह से नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए ? अगर उन्होंने नहीं कहा तो क्या सूचना मंत्री स्वयं इस बात को बुरा मानने को तैयार हैं ?

SHRI I. K. GUJRAL : Sir, I will take his last question first because that is important. The main point is, not only once but on a number of times, in this House and outside and in various public debates, I have said that it will be a sad day for the freedom of the press if the existing practice of the proprietors having the right to sack, hire and fire the editors continues. I am for making institutional arrangements whereby there should be some institutions which safeguard the freedom of the editors and the journalists because the Constitution guarantees freedom of press to editors and journalists and not to proprietors. It is very unfortunate that we have not been able to evolve such institutions. And also, whenever I have spoken both here and elsewhere, it is very unfortunate that even leading editors have opposed my contention. They have felt that it is an agreement between the proprietor and the editor and, therefore, the Government should not interfere. The Government does not want to interfere. But, the Government definitely feels and it is of the decisive view that if you really want freedom of expression to be preserved, if you want the press to be free, then it is absolutely important that those owners, particularly those who have other industrial interests should be eliminated from controlling the press. That is important. Till that is done, real freedom of press will never be possible. So far as this particular incident is concerned, I oppose it. I condemn it not only in this context but in other contexts also. I hope and I wish our friends here raised their voice when Mr. Birla dismissed Mr. Mulgaonkar, when he dismissed Mr. Krishan Bhatia, when he dimissed Mr. Bhattacharya. And if you read the history of the Hindustan Times—and Mr. T. N. Singh is a witness to it—you will find that every sensible, every independent editor suffered the same fate at his hand. I hope our friends will raise their voice against this. It is no use trying to divert the attention. It suits the proprietor nothing better than this that instead of getting at the proprietor, you start saying that the Government is interfering. So, let us have. . .

श्री राजनारायण : श्रीमन्, पाइंट आफ आर्डर ।

MR. CHAIRMAN : There is no point of order during the Question Hour.

श्री राजनारायण : माननीय सदस्य ने यह पूछा कि क्या सरकार ने वर्गीस को हटाने के लिए बिड़ला की भर्त्सना की ? इसका उत्तर हमें मिलना चाहिए ।

श्री आइ. के. गुजराल : नहीं कहा ।

श्री राजनारायण : क्योंकि तुमने हटवाया ।

श्री आइ. के. गुजराल : बिड़ला ने बुरा किया, आप बिड़ला से अब दोस्ती बन्द कीजिए ।

श्री राजनारायण : बिड़ला से दोस्ती आपकी है ।

MR. CHAIRMAN : Please resume your seat.

श्री आई. के. गुजराल : अच्छी बात यह है कि आज राजनारायण जी को बिड़ला में अवगुण नजर आने लगे हैं, इससे इनकी बुद्धि ठीक हो गई है . . .

(Interruption)

श्री राजनारायण : इंदिरा जी ने 5 लाख रुपये लिये थे 1967 में और चुनावों में करोड़ों रुपये लिये । अभी हिंडालको से 2 करोड़ 60 लाख लिया ।

MR. CHAIRMAN : Don't take down anything. Mr. Rajnarain, you have interfered more than four times. Everytime you are interfering. And you cannot raise a point of order during the Question Hour. It is an accepted principle in this House and in the other House not to raise any point of order during the Question Hour. Please resume your seat. Mr. T. N. Singh.

श्री राजनारायण : आप हमको बतायें कि आपको क्या अधिकार है कि आप यह रूलिंग दे दें कि इसको निकाल दिया जाए ।

श्री काली मुखर्जी : इनको निकाल दिया जाए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य ने क्वेश्चन आवर में एक बात कही है, उसको आप प्रोसीडिंग्ज से निकाल देंगे ?

MR. CHAIRMAN : Let Mr. T. N. Singh speak. I will allow you to put a supplementary. . .

(Interruption)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले इसका फैसला होना चाहिए । यह डिसाइड किया जाए कि क्वेश्चन आवर में कोई अलिगेशन लगाये जाते हैं तो गवर्नमेंट को राइट है कि वह रिफ्यूट करे । यह नहीं कि आपने कोई अलिगेशन लगाया तो आप उसको ऐक्सपंज कर दें ।

SHRI T. N. SINGH: Mr. Chairman has called me. I am on my legs.

श्री राजनारायण : हिंडाल्को से 5 लाख रुपया लिया । एक बार नहीं । फोटोस्टेट कापी मेरे पास है । . . .

(Interruptions)

डा. रामकृपाल सिंह : आप बिड़ला साहब का विरोध करें ऐसा मंत्री महोदय ने कहा है . . . .

श्री राजनारायण : इस सदन में हमने फोटोस्टेट कापी दी है, जिसमें लिखा है कि भगत और वी. एन. सक्सेना प्राइम मिनिस्टर से मिले थे । . . . .

(Interruption)

AN HON'BLE MEMBER : How do such irrelevant questions arise ?

MR. CHAIRMAN : Please resume your seat. Mr. T. N. Singh.

SHRI T. N. SINGH : Sir, the hon'ble Minister quite rightly stated that I and

many others had been dismissed in the Birla-owned paper for holding views which were contrary to theirs. I welcome his statement that the independence of the press is not complete until the editorial freedom is conceded. Therefore, I wanted to know as to why Government has not taken prompt measures wherever such complaints came. After all, under the Industrial Disputes Act, a worker can go to a tribunal and get justice. But the editorial department people cannot get justice. There is serious lecuna in the present law. I want to know whether the Minister or the Government is thinking of taking steps in this direction to protect the freedom of the press and right of freedom of expression of an individual.

SHRI I. K. GUJRAL : The hon. Member of the House has clarified a few things. I am in agreement with him. I think the Working Journalists Act was primarily incorporated for that very purpose. Unfortunately, at that stage, some editors had felt that they should not be brought within the purview of the Working Journalists Act. I hope they will have second thoughts about it.

SHRI T. N. SINGH: In the absence of that, why don't you take some intermediate step?

SHRI I. K. GUJRAL: I am willing to sit with you.

SHRI T. N. SINGH: It was done in the case of Verghese.

SHRI I. K. GUJRAL: I am willing to sit with anybody, not for individual cases—that may not be wise—but I think we should think in terms of institutional safeguards.

SHRI T. N. SINGH: It is of topical interest.

SHRI I. K. GUJRAL: I think whatever be the line of action, it is better that we discuss it in a small group. But institutional safeguard for editorial freedom is a necessity and a must.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के स्वरूप पर मुद्रा-स्फीति का प्रभाव

*470. **सरदार कुमार सं. चं. आंग्रे :**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

श्री सुब्रमण्यम् स्वामी :

श्री ओम प्रकाश त्यागी† :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के मूल स्वरूप पर मुद्रा स्फीति का कितना प्रभाव पड़ा है; और

(ख) उसके परिणाम स्वरूप योजना के लक्ष्यों को कितनी क्षति पहुंची है और योजना की शेष अवधि में इन लक्ष्यों में और क्या परिवर्तन किए जाने का विचार है ?

‡[*Effect of inflation on layouts of the Fifth Plan.*

*470. SHRI S. C. ANGRE :

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR :

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY:

SHRI O. P. TYAGI† :

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) to what extent inflation has affected the original layouts of the fifth Five Year Plan; and

(b) to what extent objectives of the plan have received a setback as a result thereof and what further changes in the objectives are contemplated during the remaining period of the Plan?]

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri O. P. Tyagi

‡[ ] English translation.